

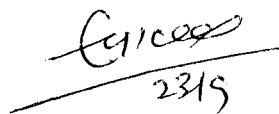
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

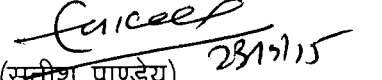
नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्रमांक 279 / सम. / ब-4 / चार :: वित्त विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश स्वीकृति हेतु जारी विभागीय आदेश क्रमांक 2329 / 2011 / ब-4 / चार, दिनांक 9.3.2012 को अधिक्रमित करते हुए वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को छोड़) के आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश के आवेदनों पर अवकाश की अनुशंसा एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अधिकारीगण सक्षम होंगे :-

क्र.	पदनाम	अनुशंसा करने हेतु सक्षम अधिकारी	अवकाश स्वीकृति हेतु अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संयुक्त सचिव / उप सचिव	—	वित्त सचिव
2	अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी तीन दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश (ऐच्छिक अवकाश सहित)	संबंधित विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव (एकाधिक अधिकारी के अधीन कार्य—विभाजन अनुसार कार्य करने की दशा में उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी)	वित्त सचिव
3	अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को 3 दिवस तक आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश	—	संबंधित विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव (एकाधिक अधिकारी के अधीन कार्य—विभाजन अनुसार कार्य करने की दशा में उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी)
4	अनुभाग अधिकारी	संबंधित अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (एकाधिक अधिकारी के अधीन कार्य—विभाजन अनुसार कार्य करने की दशा में उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी)	संयुक्त सचिव / उप सचिव (एकाधिक अधिकारी के अधीन कार्य—विभाजन अनुसार कार्य करने की दशा में उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी)
5	सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव का निजी स्टाफ या स्टाफ आफिसर के कृत्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी	—	संबंधित सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव
6	समस्त सहायक	संबंधित अनुभाग अधिकारी	संबंधित अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
7	समस्त भृत्य	—	संबंधित अनुभाग अधिकारी


2315

2. समस्त आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश के आवेदन स्वीकृति उपरांत संधारण हेतु समन्वय शाखा को प्रेषित किये जाएंगे ।

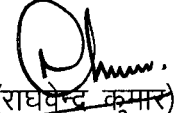

(सुरेश पाण्डेय) 28/11/15
संयुक्त सचिव

दूरभाष क्र.0771-2510734

पृ.क्रमांक 880 / सम. / ब-4 / चार /
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 24 / 09 / 2015

1. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
2. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
3. समस्त अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
5. समस्त कर्मचारी, वित्त विभाग
की ओर पालनार्थ ।


(राघवेंद्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दूरभाष क्र. 0771-2510445